

इन्दौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल पुलिस के शिकंजे में



इंदौर। हत्याकांड के आरोपी को पुलिस से बचाने के नाम पर उसकी पत्नी से धन लेने के आरोप में इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल खारीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल पर आरोप है कि उन्होंने हत्या के एक मामले में वांछित साबिर उर्फ छ्ब्बू को पुलिस से बचाने के नाम पर उसकी पत्नी मुमताज से 25 लाख रुपए में 'सौदा' तय किया था और उससे 12 लाख रुपए बतौर पेशगी लिए थे। खारीवाल ने दावा किया था कि डीआईजी संतोषकुमार सिंह, एएसपी क्राइम पॉल, एएसपी द्विवेदी, सीएसपी आरएस घुरैया, टीआई सदरबाजार एमएस भदौरिया सहित अन्य अफसरों से सांठगांठ कर छ्ब्बू को हत्या के मामले में क्लीनचिट दिलाएंगे। पुलिस ने जब छ्ब्बू को मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया, तो मुमताज ने खारीवाल से रकम वापस मांगी। खारीवाल ने उसे पांच लाख रुपए तो लौटा दिए। लेकिन बाकी रकम देने में आनाकानी करने लगे। इस पर मुमताज ने पुलिस को लिखित शिकायत कर दी और इसकी जांच में मिले सबूतों के आधार पर खारीवाल को गिरफ्तार किया गया।

मुमताज ने एक स्थानीय अदालत में दर्ज कराए बयान में भी खारीवाल के खिलाफ वही आरोप दोहराए, जो उसने पुलिस में दर्ज शिकायत में लगाए थे। पुलिस ने मामले में खारीवाल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 213 (अपराधी को दंड से बचाने के लिए रकम लेना) के तहत मामला दर्ज किया है। मंगलवार शाम सदरबाजार पुलिस ने खारीवाल को जिला कोर्ट में पेश किया। मीडिया-अपराध जगत की गठजोड़ उजागर होने के बाद कोर्ट ने खारीवाल को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है।